दिनांक	आज्ञा पत्र
16.7.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बबात बंटवारा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1369 रकबा 1.50 हैक्टर ग्राम पिपराली का पूर्व में खातेदार काश्तकार वादी का पिता स्व0 बोदूराम था । बोदूराम के दो पुत्र ओमप्रकाश व विनोदकुमार हुये जिसमें विनोदकुमार सन् 1988 से लापता हो गया जिसकी काफी तलाश करने पर भी विनोदकुमार नहीं मिला । विनोदकुार अविवाहित ही था । बोदूराम के देहान्त के बाद उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण वादी एवं विनोदकुमार के नाम दर्ज किया जिस पर वे काबिज हो गये किन्तु सन् 1988 से विनोदकुमार लापता होने के बाद इस आराजी पर केवल वादी ही काबिज काश्तकार दर्ज है किन्तु वह सन् 1988 के बाद घर नहीं लौटा । इस कारण विनोदकुमार की खातेदारी की आराजी को वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है । वादी ने विनोदकुमार की सिविल मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश सीकर में वाद पेश किया जिसे दिनांक 11-11-2009 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम0सं0-2 सीकर में की जिसे भी खारिज कर दिया जिसमें क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को न कर राजस्व न्यायालय को वाद पेश राजस्व न्यायालय से अपने आपको बोदूराम का एक मात्र उत्तराधिकारी होने से खातेदारी प्राप्त कर सकते हैं । जिसके तहत यह दावा पेश किया। जिसे अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध यह

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि पूर्व में दावा हमने सिविल न्यायालय में अपने भाई विनोद कुमार को मृत घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया था जिसे माननीय सिविल न्यायालय यह कहते हुये खारिज कर दिया कि यह दावा खातेदारी अधिकार की घोषणा का है जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। यह क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है माननीय सिविल न्यायालय के आदेश से यह दावा अदालत मातहत में पेश किया गया था किन्तु योग्य अदालत मातहत ने मेरा दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि ग्राम पंचायत पिपराली से 20 वर्षों से लापता होने की सूचना दी है। विनोद कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया। मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना विनोदकुमार का नाम हजफ किया जाना उचित नहीं है ।जबकि यह तो हम स्पष्ट कर रहे हैं कि विनोद कुमार 20 वर्षों से सन् 1988 से लापता है जिसको आज दिनांक तक न तो किसी ने देखा और ना ही यह बताया कि वह जिन्दा है ।जब यह बात स्पष्ट हो गई तभी तो मा0 सिविल न्यायालय से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिये दावा किया गया था किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गोर नहीं किया ।मा0सिविल न्यायालय ने तो राजस्व न्यायालय को इस बाबत क्षेत्राधिकार बताया है । इस बिन्दू पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर मात्र अपनी मर्जी अनुसार निषर्कश निकाल कर यह आदेश पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जाकर उक्त आराजी का अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया

दिनांक	आज्ञा पत्र	

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ख0नं0 1369 रकबा 1.50 हैक्टर की खातेदारी का कोई विवाद नहीं । विवाद केवल स्व0 बोदूराम के पुत्र विनोदकुमार के लापता होने पर उसके हिस्से की आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का है । विनोदकुमार सन् 1988 से लापता बताया है। किन्तु विनोदकुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किये जाने पर अदालत मातहत ने विनोदकुमार का नाम राजस्व रेकार्ड से हजफ कर अपीलान्ट का नाम दर्ज करने से इन्कार किया है ।बोदूराम के पुत्र विनोद कुमार सन् 1988 से लापता है। किन्तु उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये जाने पर ही उसकी आराजी उसके भाई अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाना उचित है ।किन्तु एक खातेदार काश्तकार को इन कानूनी पेचीदगीयो को देखते हुये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह विनोदकुमार के लापता होने के बाबत मे तहसीलदार से सूचना लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्तानुसार अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 22-6-2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाता है। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 20-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज सुनाया गया ।

16/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं